रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052024-254328
CG-DL-E-24052024-254328

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2024/ज्येष्ठ 3, 1946
No. 268] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2024/JYAISHTHA 3, 1946

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2024

सा.का.नि. 289(अ).—केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भर्ती नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1. (1) इन नियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भर्ती नियम, 2016 की अनुसूची में उप सचिव के पद से संबंधित, कॉलम (11) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत:-

"पदोन्नति: पदोन्नति कोटे में से आयोग में 50% पद अवर सचिवों के लिए तथा 50% पद शिक्षा अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। आयोग में अवर सचिव और शिक्षा अधिकारी, जिन्होंने अपने-अपने ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की निरंतर नियमित सेवा की है, 1:1 के अनुपात में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

टिप्पणी 1.- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और जो पदोन्नति के लिए विचारणीय है, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो, इसमें जो भी कम हो

और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता पहले ही पूरी कर ली है, के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पणी 2.- यदि किसी ग्रेड में योग्य अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो रिक्ति को रोटेशन के आधार पर दूसरे ग्रेड के अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। तथापि, निर्धारित अनुपात को विशुद्ध रूप से बनाए रखा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों के अधिकारी,-

(क) (i) जो, मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण करते हों;- या

(ii) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में 6600/-रुपये या समकक्ष ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्त होने के पश्चात् प्राप्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; तथा

(ख) निम्नलिखित योग्यता और अनुभव रखते हों,-

अकादमिक प्रशासन में पांच वर्ष का अनुभव

टिप्पणी 1.- भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।

टिप्पणी 2.- केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्वधारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: चार वर्षों से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3.- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

[फा. सं. 12-1/2022-यू1ए]

रीना सोनोवाल कौलि, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि.839 (अ) दिनांक 26 अगस्त, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए तथा अधिसूचना सा.का.नि.105 (अ) दिनांक 1 फरवरी, 2018 द्वारा उत्तरवर्ती संशोधित किए गए।

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2024

G.S.R. 289(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2), of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the University Grants Commission Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the University Grants Commission Recruitment (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the University Grants Commission Recruitment Rules, 2016 relating to the post of Deputy Secretary, in column (11), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“**Promotion:** Out of the promotion quota, 50% posts shall be reserved for Under Secretaries and other 50% posts for the Education Officers in the Commission. The Under Secretaries and Education Officers in the Commission, with at least five years continuous regular service in their respective grades, shall be eligible for promotion in the ratio of 1:1.

Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.- In case eligible officers are not available in a grade, the vacancy shall be filled in by an officer from the other grade on rotation basis. However, the prescribed ratio shall be strictly maintained.

Deputation.- Officers under the Central Government, State Government, Universities and autonomous bodies,-

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department;
or

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-3 (Rs.15600-39100) with grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following qualification and experience,-
five years of experience in educational administration.

Note 1.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3.- The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

[F. No. 12-1/2022-U1A]

RINA SONOWAL KOULI, Jt. Secy.

Note.- Principal rules were published in the Gazette of India *vide* Notification G.S.R. 839(E), dated the 26th August, 2016 and subsequently amended *vide* notification G.S.R, 105(E), dated the 1st February, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.05.24 21:03:00 +05'30'